

प्ररूप 2ख

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

.....(राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

पूरे चेहरे को सामने से  
उपदर्शित करते हुए  
श्वेत/श्वेताभ पृष्ठभूमि में  
(2 से.मीX2.5 सें.मी) स्टांप  
आकार का नवीनतम फोटो  
चस्पा करें

नीचे भाग 1 या भाग 2, जो लागू न हो, उसे काट दें

### भाग 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग के लिए)

मैं विधान सभा के निर्वाचन के लिए..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूं।

अभ्यर्थी का नाम.....पिता/माता/पिता का नाम..... उसका डाक पता.....उसका नाम..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं.....में क्रम सं0 पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम.....है जो .....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं0.....में क्रम सं0.....पर प्रविष्ट है।

तारीख.....

प्रस्तापक के हस्ताक्षर

### भाग 2

हम विधान सभा के निर्वाचन के लिए..... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित का नामनिर्देशन करते हैं।

अभ्यर्थीका नाम.....पिता/माता/पति का नाम.....उसका डाक पता.....उसका नाम.....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं0.....में क्रम सं0..... पर प्रविष्टि है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग की क्रम सं०		
1	2	3	4	5

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

**कृपया ध्यान दें:** प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

### भाग 3

में, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में वर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि---

- (क) मैं भारत का नागरिक हूँ और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित नहीं की है;  
 (ख) मैंने.....वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

**[नीचे(ग)(i)(ग)(ii) जो लागू न हो उसे काट दें]**

- (ग) (i) मुझे इस निर्वाचन में..... दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आबंटित किया जाए।

या

(ii) मुझे इस निर्वाचन में..... दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है/ मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ(जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i).....

(ii).....(iii).....हैं।

- (घ) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर.....(भाषा का नाम) में सही रूप में लिखा गया है।

- (ङ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं इस राज्य की विधान सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

\*मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं.....\*\*जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो..... राज्य के उस राज्य के.....(क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित\*\*जाति/जनजाति है।

में यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे.....राज्य की विधान सभा के लिए साथ-साथ कराए जा रहे वर्तमान साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में से दो से अधिक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशन नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

\*यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

\*\*उन शब्दों को काट दें, जो लागू न हों।

**कृपया ध्यान दें:**--“मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल” निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

### भाग 3क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

(1) क्या अभ्यर्थी को-

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-
  - (क) उपधारा(1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या
  - (ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए, सिद्धोष ठहराया गया है; या
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध(अपराधों) के लिए सिद्धोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है

यदि उत्तर “हां” में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा:

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक.....
- (ii) पुलिस थाना(थाने).....(जिला)(जिले).....(राज्य).....
- (iii) संबद्ध अधिनियम(अधिनियमों) की धारा(धाराएं) और अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धोष ठहराया गया था.....
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें).....
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिनहोंने) अभ्यर्थी को सिद्धोष ठहराया था.....
- (vi) अधिरोपित दंड [कारावास (कारवासों) की अवधि और/या जुर्माने की राशि उपदर्शित करें].....
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें).....
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे:हां/नहीं
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की तारीख और विशिष्टियां).....
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके(जिनके) समक्ष अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे.....

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं.....

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो-

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें).....

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति).....

“(2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है ?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, धारित पद के ब्यौरे.....

(3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है ?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है.....

(4) क्या अभ्यर्थी किसी विदेशी देश के साथ राजनिष्ठा या अनुषक्ति के अधीन है ?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, ब्यौरे दीजिए.....

(5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरर्हित किया गया है?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, निरर्हित किए जाने की अवधि.....

(6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिए पदच्युत किया गया है?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, ऐसी पदच्युति की तारीख.....

(7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यष्टि हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान संविदा(संविदाएं) रखता है जिसमें(जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए संकर्म के निष्पादन के लिए शेयर रखता है?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, तो कौन-सी सरकार के साथ है और आस्तित्ववान संविदा(ओं) के ब्यौरे.....

(8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कंपनी या निगम(सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अभिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेयर नहीं रखती है?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, कौन-सी सरकार के साथ और उसके ब्यौरे.....

(9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरर्हित किया गया है?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, निरर्हन की तारीख.....”

स्थान:

तारीख

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

**भाग 4**

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाएगा)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं०.....

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में.....(तारीख) को.....(बजे)

\*अभ्यर्थी/प्रस्तावक.....(नाम) द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

---

\*लागून होने वाले शब्द काट दीजिए।

**भाग 5**

**नामनिर्देशन पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय**

मैंने इस नामनिर्देशन पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ:--

.....  
.....  
.....

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

.....(छिद्रण).....

**भाग 6**

**नामनिर्देशन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना**

(नामनिर्देशन-पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दिए जाने के लिए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं०.....

.....का, जो.....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हैं, नामनिर्देशन-पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में.....(तारीख) को.....(बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया। सभी नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा.....(तारीख) को.....(बजे) .....(स्थान) में की जाएगी।

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

\*जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए।